By
Rahul Kumar Jha
Dept.of Political Science

Lecture-3

Topic-Formation of Indian Constituent Assembly

Degree-II(Hons.) P-3

Date-18-01-2022

संविधान सभा :-

10 अगस्त, 1928 को पेश की गई समिति की रिपोर्ट, जो 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध हुई, रिपोर्ट में न केवल समकालीन राष्ट्रवादी विचारधारा का दृष्टिकोण परिलक्षित होता था बल्कि भारत के संविधान के प्रारूप की एक रूपरेखा भी समाविष्ट थी। भारत के संविधान का प्रारूप डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित था। उसमें संसदीय प्रतिरूप के अनुसार पूर्णरूपेण उत्तरदायी सरकार का उपबंध था। इसमें इस सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक उल्लेख किया गया था कि प्रभुसत्ता भारतीय जनता में वास करती है। इसमें एक मूल

अधिकारों की व्यवस्था रखी गई थी तथा एक ऐसी संघीय प्रणाली का उपबंध किया गया था जिसमें इकाइयों को अधिक से अधिक स्वायत्तता दी गई थी किंतु अवशिष्ट शक्तियां केन्द्रीय सरकार में निहित की गई थी। इसके अलावा, इसमें संघीय निम्न सदन तथा प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का उपबंध किया गया था तथा कतिपय मामलों में अल्पसंख्यकों के लिए एक सीमित अवधि के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे।

गौरतलब है कि संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार, अदालतों द्वारा लागू कराए जा सकनेवाले मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार सहित मोटे तौर पर जिस संसदीय व्यवस्था की संकल्पना 1928 की नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, उसे लगभग ज्यों-का-त्यों 21 वर्ष बाद, 26 नवंबर,

1949 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किए गए स्वाधीन भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया।

तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जारी किए गए श्वेतपत्र में भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की रूपरेखा दी गई थी। इन प्रस्तावों पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति का मत था कि 'फिलहाल भारत में प्राधिकारियों को विशिष्ट संविधायी शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है।

जून, 1934 में, कांग्रेस कार्यकारिणी ने घोषणा की कि श्वेतपत्र का एकमात्र विकल्प यह है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार किया जाए। यह पहला अवसर था जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई थी।

(CHAPTER CONTINUES.....)